

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-39/2017/324/दो-2-2017-4/2(19)/14
लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री विन्ध्यवासिनी राय, पी0सी0एस0 के अपर जिलाधिकारी (नगर) वाराणसी के पद पर तैनाती के दौरान दिनांक 15.10.2016 को जनपद वाराणसी में घटित घटना के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत शासन के आदेश दिनांक 16.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए निलम्बित किया गया। कालान्तर में श्री विन्ध्यवासिनी राय के प्रत्यावेदन दिनांक 4.11.2016 पर विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.12.2016 द्वारा सेवा में बहाल करते हुए तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये। पुनः नियुक्ति अनुभाग-2 के आदेश दिनांक 21.1.2017 द्वारा श्री विन्ध्यवासिनी राय, पी0सी0एस0 को अपर जिलाधिकारी (नगर), फैजाबाद के पद पर तैनात किया गया, जिसके अनुपालन में उन्होंने दि0-23.1.2017 के पूर्वान्ह में नवीन तैनाती का कार्यभार ग्रहण कर लिया।

(2) इस प्रकार श्री विन्ध्यवासिनी राय दि0-16.12.2016 से 21.1.2017 तक किसी पद पर कार्य नहीं कर सके। इसमें उनका स्वयं का कोई दोष नहीं है। अतः उक्त अवधि का बाध्य प्रतीक्षाकाल स्वीकृत किये जाने का औचित्य पाया गया।

(3) अतः श्री राज्यपाल, श्री विन्ध्यवासिनी राय को दि0-16.12.2016 से 21.1.2017 तक की बाध्य प्रतीक्षा अवधि में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(6)(बी)(III) के अन्तर्गत इयूटी पर मानने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(4) बाध्य प्रतीक्षा की उक्त अवधि में श्री विन्ध्यवासिनी राय को उक्त नियमावली के मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन एवं मंहगाई भत्ता देय होगा जो अन्यथा वे इयूटी में रहने की दशा में प्राप्त करते होते। मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता यथा अनुमन्य भुगतान से पूर्व श्री विन्ध्यवासिनी राय से सहायक नियम-152 एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-जी(1)-134/दस-2017, दि0-20.3.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संजय कुमार सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप सचिव, इरला चेक अनुभाग (वे0प0), उ0प्र0शासन।
3. संबंधित अधिकारी।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।